

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 9(4) राज/वाद/88 पार्ट

जयपुर, दिनांक 21/03/2022

:: आदेश ::

श्री आशीष कुमार (पंजीयन क्रमांक डी/1164/2008) द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के पद से प्रस्तुत किया गया त्याग-पत्र दिनांक 11.03.2022 से तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।


आज्ञा से,



(अनुपमा राजीव बिजलानी)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव/विशेषाधिकारी (जी.एस.वाई), मा0 मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 विधि मंत्री/मुख्य सचिव/समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/जिलाधीश/विभागाध्यक्ष /सचिवालय के समस्त विभाग।
3. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।
4. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. समस्त अति. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
6. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
7. समस्त अति0 महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
8. श्री मिलिन्द कुमार, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली को प्रेषित कर लेख है कि वे विभागीय पत्र दिनांक 14.03.22 के क्रम में श्री आशीष कुमार, तत्कालीन अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली से प्राप्त पत्रावलियों में पौरवी हेतु नियुक्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की सूचना सहित समस्त प्रकरणों की सूची अविलम्ब इस विभाग को जरिये मेल भिजवाये जाने का श्रम करावें।
9. संबंधित अधिवक्ता।
10. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज0 जयपुर को राज पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
11. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
12. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
13. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
15. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
16. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
17. लेखा शाखा, विधि विभाग।
18. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
19. रक्षित पत्रावली।

  
(अनुपमा राजीव बिजलानी)  
शासन सचिव, विधि